तत्काल जारी किए जाने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति नंबर 59/ 2020)

भादूविप्रा ने ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और बढ़ी हुई ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप'' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और बढ़ी हुई ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप पर परामर्श पत्र जारी किया।

2. देश में विश्वसनीय और हाई–स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाना, 2004 से सरकार और प्राधिकरण के ध्यान में है। वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए पूर्व में कई नीति और विनियामक पहलें की गई हैं। आईसीटी के क्षेत्र में हो रहे निरंतर विकास से सरकार, प्राधिकरण और टीएसपी पर ब्रॉडबैंड नेटवर्कों की पैठ और प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए लगातार दबाव पड़ रहा है। उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती मांग और उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रयास जारी हैं। ब्रॉडबैंड नेटवर्क की पैठ और प्रदर्शन में सुधार के लिए एनडीसीपी–2018 में कई रणनीतियों की पहचान की गई है। ऐसी रणनीतियों को कार्रवाई योग्य बिंदुओं में बदलने की जरूरत है ।

3. इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह निम्नलिखित बिंदुओं पर संशोधित भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11 (1) (क) के अनुसार अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे:

(क) *विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न गतियों अर्थात अपलोड/डाउनलोड गति के साथ फिक्स्ड बनाम मोबाइल को परिभाषित किया गया है*

(ख) *ब्रॉडबैंड गति की विभिन्न श्रेणियों जैसे बेसिक ब्रॉडबैंड, हाई ब्रॉडबैंड और अल्ट्रा–हाई ब्रॉडबैंड आदि को यूरोप की तरह कैसे परिभाषित किया जा सकता है: और*

(ग) *50 एमबीपीएस के एनडीसीपी–2018 उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ब्रॉडबैंड गति बढ़ाने का रोडमैप।*

4. दूरसंचार विभाग ने दो अन्य अलग संदर्भों, 'पुनर्विक्रय और वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (वीएनओ) के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण और पहुंच के लिए अभिनव दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करके' और 'अभिनव और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना' के माध्यम से एनडीसीपी–2018 रणनीतियों को लागू करने के लिए प्राधिकरण की सिफारिशों की मांग की है। दोनों रणनीतियां मिशन ''कनेक्ट इंडिया: एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचा बनाना'' का भाग हैं।

5. इस पृष्ठभूमि के साथ, प्राधिकरण, वर्तमान परामर्श पत्र के माध्यम से हितधारकों से निम्नलिखित पर जानकारी प्राप्त करना चाहता है (1) फिक्स्ड और मोबाइल ब्रॉडबैंड को परिभाषित करना (2) बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अभिनव दृष्टिकोण, (3) ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, और (4) ब्रॉडबैंड गति को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय।

7. परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखा गया है। परामर्श पत्र पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 21 सितंबर 2020 तक और जवाबी टिप्पणियां यदि कोई हो, तो 5 अक्टूबर 2020 तक आमंत्रित की जाती हैं।

8. टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में jams@trai.gov.in और sksinghal@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, सलाहकार (ब्रॉडबैंड एंड पॉलिसी एनालिसिस) श्री सुनील कुमार सिंघल से दूरभाष नंबर. 91–11–23221509 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह0/–
(एस.आर. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण : यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।